बिहार राज्य सहयोग क्रय–विक्रय संघ सीमित, पटना
(बिस्कोमान)

आदेश

चूँकि बिस्कोमान के प्रबंधन को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, सहायक भंडार प्रबंधक तत्कालीन प्रभारी अधिप्राप्ति केन्द्र, मुंगेर के द्वारा अधिप्राप्ति वर्श 2010–11 में मुख्यालय आदेशों का उल्लंघन करते हुए वित्तीय अनियमितता की गई। जैसा कि अनुलग्न विवरणी में विनिर्दिश्ट है। इस अभियोगों के आधार पर हीं उन्हें मुख्यालय आदेश ज्ञापांक– स्था॰/222/बी॰/77 दिनांक 16.04.2013 द्वारा निलंबित किया गया।

2. चूँकि श्री सिंह से इसके द्वारा अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव का लिखित ब्यान अधिक से अधिक 30(तीस) दिनों के अन्दर अवश्य उपस्थापित करे तथा साथ हीं–

(क) यह भी बतावें कि क्या वे साक्षात सुनवाई कराना चाहते हैं।

(ख) उन साक्ष्यों का यदि कोई हो नाम एवं पता दें, जिन्हें वे अपने बचाव के पक्ष में बुलाना चाहते हैं।

(ग) ऐसे अभिलेखों की प्रति/सूची प्रस्तुत करें जिन्हें वे अपने बचाव के पक्ष में पेश करना चाहते हों।

3. उन्हें निदेश दिया जाता है कि विहित अवधि के अन्दर लगाये गये आरोपों के संबंध में अपना लिखित स्पश्टीकरण श्री मुरलीधर सिंह, लेखा पदाधिकारी अंतिम लेखा, बिस्कोमान, पटना को समर्पित करें जिन्हें इस मामलें में संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री सिंह को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उनका लिखित प्रतिवाद पत्र उपर विर्निदिश्ट तिथि को या इसके पहले प्राप्त नहीं होगा तो जॉच एक पक्षीय कर ली जाएगी।

प्रबंध निदे”ाक के आदे”ाानुसार,

सचिव

ज्ञापांकः– **दिनांकः–**

प्रतिलिपिः–

1. श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, स॰भं॰प्र॰(नि॰), वरीय क्षेत्रीय कार्यालय, बिस्कोमान, मुंगेर को आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए सूचनार्थ एवं आदे”ाार्थ।
2. श्री मुरलीधर सिंह, लेखा पदाधिकारी अंतिम लेखा, बिस्कोमान, पटना /आरोप–पत्र की प्रति संलग्न करते हुए निदे”ा दिया जाता है कि वे अपनी जॉच शीघ्रता”ाीघ्र समाप्त कर संचिका अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आदे”ाार्थ उपस्थापित करें।

सचिव